न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष सदस्य, राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

367

रा. नि. क्रमांक /2013.

R-1066-II/13

कलुआ तनय श्री हुदधा पटेल उम्र 52 साल निवासी
ग्राम पतौरा तहसील गुनौर जिला पन्ना म.प्र. .. आवेदक

बनाम

1. तरिया तनय हुदधा पटेल
2. कुठालू तनय हुदधा पटेल
3. उत्तरार्थी क्रमांक 3 धर्मदास (मृतक)

(क) श्रीमती रामबाई पति स्व. धर्मदास पटेल
(ख) रामकुमार तनय स्व. श्री धर्मदास पटेल
(ग) रामजी तनय स्व. श्री धर्मदास पटेल
(घ) नन्दू तनय स्व. श्री धर्मदास पटेल
(ङ.) पितिया बाई पुत्री स्व. श्री धर्मदास पटेल
(च) विधा बाई पुत्री स्व. श्री धर्मदास पटेल
(छ) बाबूलाल तनय बोरा उर्फ तुलसीदास पटेल

सभी निवासी ग्राम पतौरा तहसील गुनौर
जिला पन्ना म.प्र. .. अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध प्रकरण क्रमांक 67/निगरानी/अ-6 वर्ष 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 28/1/13 पारित द्वारा श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय, पन्ना जिला पन्ना म.प्र. द्वारा जिसके द्वारा विधिविरुद्ध तरीके से आवेदक की निगरानी निरस्त की गई से दुखित होकर।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू रा. संहिता 1959.

==================================

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1066-दो/2013 जिला पन्ना कलुआ विरूद्ध सरिया व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 67/निगरानी/अ-6/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 28-01-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 15-03-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 21.01.19
सदस्य